रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258222 CG-DL-E-24102024-258222

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2024/कार्तिक 2, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2024/KARTIKA 2, 1946

No. 136]

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2024

का.नि.आ. 136(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार सिहता) नियम, 2021 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) के साथ पिठत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, भारतीय सेना में सामरिक संचार अपर महानिदेशक (केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी हो जो उप-सिचव के पंक्ति के नीचे का न हो) को किसे ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में जो भारतीय सेना और इसके संघटकों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध हैं, मध्यवर्तियों को नोटिस जारी करने के प्रयोजन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती हैं |

[फा. सं. A/34514/MI-10]

मेजर जनरल जीएस चौधरी, संयुक्त सचिव

6932 GI/2024 (1)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2024

S.R.O. 136(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with cause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermidiary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, the Central Government hereby designates Additional Directorate Genenal of Strategic Communication (being an officer of the Central Government not below the rank of Deputy Secretary), in the Indian Army, as the nodal officer for the purpose of issuing notice to intermidiaries in relation to any information which is prohibited under any law for the time being in force, pertaining to the Indian Army and its components.

[F. No. A/34514/MI-10]

MAJOR GENERAL G S CHOUDHRY, Jt. Secy.